...लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

... 03/2023 तारीखरजूः– 5/6/2023

उनवानः– अमरसिंह बनाम भरतलाल

प्रार्थना पत्र उल्लधंन अस्थायी निषेधाज्ञा (ब्रिच)

फर्द अहकाम

प्रार्थीगण की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र मु0न0 01/2009 मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.04.2015 की अवहेलना किये जाने बावत उल्लधंन अस्थायी निषेधाज्ञा (ब्रिच) पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.06.2023 को पेश हो। 1614-35 / 5/6/2023

(गौरव कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

30/6/23 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... महंगाई राहत केम्प मे पधारे है)
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 7.8.23
को पेश हो।

7/8/23 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... स्थानान्तरण अधीन है)
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 14.9.23
को पेश हो।

14/9/23 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... मिटिंग मे व्यस्त है)
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 26.10.23
को पेश हो।

26/10/23 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... चुनाव कार्य मे व्यस्त थे)
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 2-1-24
को पेश हो।

2/1/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी न0 1 लगा0 22 की ओर से श्री [illegible] गुर्जर एड0 ने मेमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते वकालतनामा पेश करने दिनांक 6.2.24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:02 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

### फर्द अहकाम

7/8/24 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उपस्थित उभयपक्ष वकील की प्रार्थना ब्रीच पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/8/24 को पेश हो

14/8/24 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, न्यायालय हाजा द्वारा मु0न0 01/2009 मे दिनांक 10.04.2015 को गैरसायलान को वर्णित आराजी ख0न0 45, 90, 124, 125, 135, 198, 227, 228, 235, 245, 386 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने को पाबन्द किया गया है। वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज एवं दखील है तथा बिना विध्न के काश्त कर रहे है। लेकिन दिनांक 08.04.2023 को गैरसायलान मे स्थगन होने के बावजूद स्थगन आदेश की अवहेलना कर रहे है। गैरसायलान द्वारा वर्णित आराजीयात मे टेक्टर चलाकर जोत लगवा दी, इसलिये प्राईमाफेसी केस सायल के पक्ष मे है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 10.04.2015 की अवहेलना का गैरसायलान को दोषी करार फरमाया जाकर उनकी सम्पत्ति कुर्क की जावे तथा उन्हे 3–3 माह के सिविल कारावास से दंडित किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी अमरसिह बनमा भरतलाल मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश स्वीकार है। सायलान के विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नही की है, नाही वर्तमान मे काश्त कर रहे है। गैरसायलान उक्त आराजीयात को पूर्व खातेदार से खरीद के समय से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। और आज भी मौके पर काबिज है। जो कि उनवानी नत्थी बनाम जयकुमार मे तलब की गई मौका रिपोर्ट से साबित है। प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र ब्रीच खारिज किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 10.04.15 अनुसार कुल किता 11 कुल रकबा 4.35 है0 ग्राम नन्दीपुर मे उभयपक्षकारान को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त जारी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत मूलवाद उनवानी नत्थी बनाम जयकुमार तथा हमफीता मूलवाद उनवानी अमरसिंह बनाम भरतलाल दिनांक 03.05.2024 को निर्णित किये जा चुके है। मूल वादो का निस्तारण होने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे जारी स्थगन आदेश का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। इसलिये जब मूलवादो मे निर्णय किया जा चुका है तो इस प्रार्थना पत्र ब्रीच पर कोई न्यायिक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थना पत्र उल्लंधन अस्थायी निषेधाज्ञा ब्रीच खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:02 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी